विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में दिनांक-24.05.2018 को आयोजित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना से संबंधित बैठक की कार्रवाही:-

---

विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-24.05.2018 को विभागीय सभाकक्ष में नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी / कर्मी उपस्थित हुए |

1. श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव
2. श्री संजय दयाल, विशेष सचिव
3. श्रीमती इंदु कुमारी, नोडल पदाधिकारी, SBM
4. श्री अनिल कुमार गुप्ता, टीम लीडर, SBM, PMU
5. श्री सव्यसाची साहू, SWM Expert, SBM, PMU
6. श्री रवि रंजन, प्रोग्रामर, SBM
7. श्री सोनाल प्रियदर्शी, प्रोग्रामर, SBM

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के राज्यस्तरीय क्रियान्वयन की जानकारी PPT के माध्यम से दी गयी |

1. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना का एक महत्वपूर्ण घटक खुले में शौच से मुक्ति (ODF) है | राज्य में ODF किस प्रकार से की जायेगी, इसके Strategy Plan पर चर्चा की गई तथा माह मई, 2018 में 10 नगर निकाय, जून में 30, जुलाई में 70, अगस्त 2018 तक 110, सितम्बर, 2018 तक 140 एवं अक्टूबर तक राज्य के सभी 143 नगर निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है | 10 नगर निकायों को ODF घोषित करने से पूर्व थर्ड पार्टी Verification हेतु भारत सरकार को प्रतिवेदित किया गया है |
2. व्यक्तिगत शौचालय के लिए पूरे मिशन का लक्ष्य 5,01,132 है, जिसमें से निर्माण कार्य पूर्ण एवं निर्माणाधीन शौचालय की संख्या 3,84,540 (76.73%) बताई गयी | इसके साथ हीं सभी नगर निकायों की उपलब्धियों, Geo - Tag फोटोग्राफ, लाभार्थियों द्वारा स्वयं निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की प्रक्रिया एवं Mother-Child A/c आदि के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गयी | कृत कार्रवाई पर विकास आयुक्त, बिहार द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्नशील रहने का सुझाव दिया गया |
3. योजना के अधीन वैसे परिवार जिसके घर में ना तो शौचालय है और ना हीं शौचालय बनाने हेतु भूमि उपलब्ध है, वैसे परिवार को सामुदायिक शौचालय या Mobile Toilet की व्यवस्था की जा रही है | इसके लिए विभाग के अभियंत्रण कोषांग द्वारा Double Storied एवं

Triple Storied के सामुदायिक शौचालय का Model Estimate तैयार कर सभी नगर निकायों को प्रेषित किये जाने की सूचना दी गयी |

मोबाईल शौचालय के संबंध में विकास आयुक्त महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि, विभागीय स्तर पर कुछ ऐसी व्यवस्था का प्रयास किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक निकाय में अलग - अलग निविदा की आवश्यकता नहीं हो |

(अनुपालन:- नगर विकास एवं आवास विभाग)

4. डोर टू डोर कचरा संग्रहण के संबंध में निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम पटना के सभी वार्डों में 100 % डोर टू डोर कचरा संग्रहण एवं निष्पादन का कार्य शीघ्र संपन्न कराई जाये | इसके अतिरिक्त Resident Welfare Assosiation के तर्ज पर कचरा संग्रहण, पलम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि की सुविधायें आम जनों को उपलब्ध कराने की दिशा में भी विचार करने का निदेश दिया गया |

(अनुपालन:- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम)

5. पटना के Waste to Energy Plant के बारे में हुई चर्चा पर निदेश दिया गया कि चुकि Agency कई बार समय लेने के बाद भी ना तो financial closure कर पा रही है और ना ही plant का निर्माण कार्य प्रारंभ कर पा रही है | अतः Contract के term के आधार पर उचित कार्यवाई करने का सलाह दिया गया |

(अनुपालन:- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, MD, बुडको)

6. पटना के संदर्भ में यह भी निदेश दिया गया कि अलग से पटना नगर निगम के कार्यो की समीक्षा की जाएगी |

(अनुपालन:- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम)

7. विभाग के द्वारा पोलीथिन - कैरीबैग का उपयोग बिहार में पूरी तरह से बंद करने पर चर्चा किया गया |

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी |

ह०/-
(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-03/SBM-01-25/2018 1433 नविo एवं आविo/पटना, दिनांक- 06/06/18

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / नगर आयुक्त, पटना नगर निगम / SBM से संबंधित सभी पदाधिकारी एवं कर्मी तथा SBM, PMU, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित |

11/6/2018

प्रधान सचिव |